"कार्यालय ज्ञाप"

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 30/XXX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक 06 फरवरी 2018 तथा सरकारी गजट, उत्तराखण्ड अधिसूचना संख्या 12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017, दिनांक 05 जनवरी 2018 के क्रम में सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रों का चिन्हींकरण किये जाने हेतु शासन के उक्त शासनादेश के बिन्दु–02(4) सुगम एवं दुर्गम स्थानों का चिन्हांकन एवं उसका प्रकटीकरण तथा वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 (संख्या 01 वर्ष 2018) के परिशिष्ट–02, सुगम तथा दुर्गम क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार इंगित विभिन्न बिन्दुओं यथा–सामान्य आधाभूत सुविधाएं सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, रेल तथा हवाई जहाज आदि सुविधा सम्बन्धी सूचनाओं के अनुसार प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य स्तरीय तीन कार्यालय स्थापित हैं तथा सुविधाओं के अनुसार सुगम के रूप में चिन्हीकरण किया जाना प्रस्तावित है:–

क्र0सं0	संस्था का नाम	जनपद का नाम	चिन्हींकरण
1	प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, श्रीनगर (गढ़वाल)	पौड़ी गढ़वाल	सुगम
2	प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की (हरिद्वार)	हरिद्वार	सुगम
3	संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसधान विकास प्रकोष्ठ, देहरादून	देहरादून	सुगम

उपरोक्तानुसार सूची को विभाग की वैवसाइट पर भी प्रदर्शित किया जा रहा है। सभी कार्यालयाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार सुगम एवं दुर्गम की प्रकटीकरण की सूचना को सम्बन्धित सभी कार्मिकों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे तथा यदि किसी कार्मिक को इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति है तो अपने कार्यालय से सम्बन्धित आपत्तियों को कारण सहित संकलित करते हुये निम्न प्रारूप पर सूचना कार्मिकों की लिखित आपतियां साक्ष्य सहित निदेशालय को एक सप्ताह के अन्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें। एक सप्ताह के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जायेगा। विभिन्न कार्मिकों से प्राप्त आपत्तियों के सम्यक विचारोपरान्त अंतिम निर्णय लेते हुये सुगम एवं दुर्गम स्थानों का चिन्हीकरण अंतिम रूप से समयान्तर्गत किया जायेगा।

–आपत्ति का प्रारूप:–

संस्था का नाम:–

कार्मिक का नाम, पद नाम सहित	संस्था का नाम जिस पर आपत्ति है	आपत्ति का विवरण	आपत्ति से सम्बन्धित कारण साक्ष्यों सहित

हस्ताक्षर

प्रधानाचार्य के मुहर सहित

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तराखण्ड।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल)

पृ0सं0 5520 / नि0प्रा0शि0 / स्था0–08 / 2017–18 दिनांक 19/3/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, रूड़की, संयुक्त सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, देहरादून एवं समस्त राजकीय पालीटेक्निक संस्थाओं के प्रधानाचार्यो / समन्वयकों / प्रभारी प्रधानाचार्यों को ई–मेल माध्यम से।

2–प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड श्रीनगर (गढ़वाल) के समस्त कार्मिकों को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।

3–विभाग में कार्यतर समस्त कार्मिकों को द्वारा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष।

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
निदेशक।